UPMZ010075452026

न्यायालय, Addl. Distt. and Sess. Judge Court No-08, Muzaffarnagar.

पीठासीन अधिकारी– (KASHIF SHEIKH), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP02680

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3024 सन् 2026

नौशाद बनाम उ०प्र० राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 382 सन् 2014,
धारा 392, 411, 120 भारतीय दण्ड़ संहिता,
थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर।

03–07–2026

01:– आवेदक/अभियुक्त **नौशाद पुत्र अहमद हसन,** निवासी ग्राम धनसैनी, थाना तितावी, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 382 सन् 2014, अंतर्गत धारा 392, 411, 120 भारतीय दण्ड़ संहिता, थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के मामले में निरुद्ध है, की ओर से जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

02:– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथकर्ता अहमद हसन की ओर से शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही प्रस्तुत किया गया है और न ही निरस्त हुआ है।

03:– प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा प्रदीप कुमार की तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना छपार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसमें दौरान विवेचना सह–अभियुक्तगण जावेद आदि के बयान के आधार पर अभियुक्तगण नौशाद व मुजम्मिल का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आये। जिसमें अभियुक्त नौशाद के फरार होने की स्थिति में उसके विरुद्ध मफरूरी में संबंधित धाराओं में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

04:– आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए और उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिकथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 01, मुजफ्फरनगर के यहां से दिनांक 25–05–2026 को निरस्त किया जा चुका है। उपरोक्त केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में है। उपरोक्त केस में सह–अभियुक्त जावेद आदि के द्वारा आवेदक/अभियुक्त का नाम लिया गया है, जबकि आवेदक/अभियुक्त किसी भी घ ाटना में किसी भी सह–अभियुक्त के साथ शामिल नहीं रहा है। उपरोक्त केस में

Digitally signed by KASHIF SHEIKH
Date: 2026.07.03 17:00:55 IST
Reason: Bail Order
Location: Addl. Sessions Judge, Court No-08, Muzaffarnagar.

सह–अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व से सजाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

05:– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) उपस्थित। उनके द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत का विरोध किया जाता है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया जाए।

06:– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (दाण्ड़िक) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सविस्तार सुना तथा समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया।

07:– जमानत प्रार्थनापत्र, केस ड़ायरी एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त नौशाद के विरुद्ध लूट करने, लूट की सम्पत्ति अपने पास रखने तथा आपराधिक षडयन्त्र रचने का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित थाना द्वारा मफरूरी में आरोपपत्र प्रेषित किया गया था। जिस कारण उसके विरुद्ध संबंधित न्यायालय द्वारा गैर–जमानतीय वारंट एवं 82/83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अमल में लाई गयी। अभियुक्त द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता तलबी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त को प्रस्तुत प्रकरण में उसके विरुद्ध धारा 309 दं०प्र०सं० का वांरट बनाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रस्तुत प्रकरण मजिस्ट्रेट परीक्षणीय है तथा अभियुक्त दिनांक 13–10–2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **नौशाद पुत्र अहमद** हसन द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 382 सन् 2014, धारा 392, 411, 120बी भारतीय दण्ड़ संहिता, थाना छपार, जनपद मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्न शर्तों के अधीन **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त **नौशाद** द्वारा **अंकन 50,000/– (पचास हजार) रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

01. आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक नियत दिनांक पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा आरोप विरचित किये जाने, साक्षीगण के साक्ष्य, जिरह किये जाने तथा धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान लेखबद्ध किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

02. वाद के निस्तारण में सार्थक सहयोग करेगा।

दिनांकः– 03–07–2026

(काशिफ शेख)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 08, मुजफ्फरनगर।